<u>पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-95/2021/1322/52-1-2021</u>

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

<u>विषय</u>– अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1961/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/2021-2022 दिनांक 15.09.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय- 09-अरबी फारसी बोर्ड -16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में हो रही संभावित बचत में से धनराशि रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन एवं प्रशासन 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था करते हुए निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। अत: स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपेयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि सहित व्यय धनराशि का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 जनवरी 2021 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है, जिन मामलों में उ0प्र0बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 मे आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन एवं प्रशासन 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा तथा रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की धनराशि का व्यय संलग्न बी0एम0 -09 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।
संलग्नक- बी0एम0-9 प्रपत्र।

भवदीय

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

संख्या-1322(1)/बावन-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704- जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
6. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2/3/4
7. गार्ड फाईल।

भवदीय

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव